लक्ष्मण सिंह **बनाम** श्री गुरूद्वारा साहिब 58 एफ
र्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी सहपठित धारा 151 सीपीसी
प्रकरण संख्या 03 सन् 2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/11

नामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.06.2025	अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी सहपठित धारा 151 सीपीसी पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी सहपठित धारा 151 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया कि वादी श्री गुरूद्वारा साहिब 58 एफ द्वारा प्रकरण संख्या 164/2022, अनवान श्री गुरूद्वारा साहिब 58 एफ बनाम राजस्थान सरकार आदि, अन्तर्गत धारा 88, 91 आरटीए, 136 एलआरएक्ट पारित निर्णय मय डिक्री दिनांक 10.10.2024 में वादगत भूमि पर मुझ प्रार्थी का कब्जा होने के बावजूद भी पक्षकार संयोजित किए बिना, राजस्थान सरकार के अलावा हरखासआम को पक्षकार संयोजित करते हुए, हरखास आम का नोटिस समाचार पत्र दैनिक भोर में प्रकाशित करवाकर, न्यायालय को गुमराह कर एकतरफा अपने पक्ष में डिक्री करवा लिया गया है। प्रार्थी लक्ष्मण सिंह पुत्र मेहर सिंह, मृतक गुरदत सिंह की पुत्री राम कौर का इकलौता पुत्र है तथा इस नाते वह गुरदित का विधिक वारिस है। वादगत भूमि के सम्बन्ध में गुरदित सिंह ने अपने जीवनकाल में दिनांक 14.09.1987 को एक वसीयत प्रार्थी के पक्ष में की थी। गुरदित सिंह का देहान्त दिनांक 17.10.1984 को हो चुका है। गुरदित सिंह के देहान्त हो जाने से उक्त वसीयत लागू हो चुकी है तथा वादगत भूमि प्रार्थी का न्यागत हो चुकी है। इस भूमि पर गुरदत सिंह के जीवनकाल तक गुरदित सिंह का तथा उसके देहान्त उपरान्त मुझ प्रार्थी का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। आज भी मुझ प्रार्थी का कब्जा काश्त है। लेकिन इसके बावजूद जानबूझकर प्रार्थी को उक्त वाद में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। अत प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 164/2022,अनवान श्री गुरूद्वारा साहिब 58 एफ बनाम राजस्थान सरकार आदि, अन्तर्गत धारा 88, 91 आरटीए, 136 एलआरएक्ट पारित निर्णय दिनांक 10.10.2024 को अपास्त कर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि प्रार्थी के कब्जाधीन नहीं है और ना ही प्रार्थी गांव 58 एफ में रहकर भूमि काश्त करवाता है। हरखास आम की तली के लिए तमाम कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई थी। हरखास व आम को दावे के बाबत् सूचित करने के लिए गांव के गुरूद्वारा व सार्वजनिक स्थल पर नोटिस चस्पा किए गए और अखबार में छाया करवाया गया, परन्तु इसके बावजूद भी प्रार्थी जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं आया। क्योंकि	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

लक्ष्मण सिंह **बनाम** श्री गुरूद्वारा साहेब 58 एफ
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी सहपठित धारा 151 सीपी
प्रकरण संख्या 03 सन् 2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/11

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्रश्नगत भूमि से प्रार्थी का कोई सम्बन्ध नहीं है। गुरदित सिंह ने कोई भी वसीयत प्रार्थी के हक में नहीं की और ना ही गैरखातेदारी भूमि की वसीयत करने का अधिकार गुरदित सिंह को था। अगर कोई वैध वसीयत प्रार्थी के हक में हुई होती तो आज तक उसका अमलदरामद हो जाना चाहिए था, क्योंकि गुरदित सिंह को मरे हुए करीब 40 वर्ष हो चुके है और ना ही प्रार्थी ने ऐसी कोई भी वसीयत उक्त प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। जिस कारण प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि में कोई हक व हिस्सा नही बनता है। इसलिए प्रार्थी को दावा में पक्षकार बनाए जाने की कतई आवश्यकता नहीं थी। आदेश आपस्त किए जाने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी सहपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किए जाने योग्य है। लिहाजा प्रकरण संख्या 164/2022, अनवान श्री गुरूद्वारा साहिब 58 एफ बनाम राजस्थान सरकार आदि, अन्तर्गत धारा 88, 91 आरटीए, 136 एलआरएक्ट पारित निर्णय मय डिक्री दिनांक 10.10.2024 में हरखास व आम की तलवी जरिए दैनिक अखबार प्रकाशन से करवाई गई है। तलवी विधिवत होने के बावजूद भी प्रार्थी लक्ष्मण सिंह व अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा कोई आपत्ति एतराज प्रस्तुत नहीं किया गया है। न्यायालय हाजा द्वारा उक्त वादपत्र में दिनांक 10.10.2024 को अंतिम डिक्री पारित की जा चुकी है। प्रार्थी अपना अनुतोष सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर प्राप्त कर सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी सहपठित धारा 151 सीपीसी भली–भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है व प्रकरण में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 20.01.2025 भी निरस्त की जाती है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)